माननीय मुख्य न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के समक्ष

मीना भंडारी - *याचिकाकर्ता*

बनाम

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच और अन्य- *प्रतिवादी*

2015 की सीडब्ल्यूपी संख्या 25213

अगस्त 27, 2018

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985-धारा 19-पंजाब सिविल सेवा नियम, 1970-आरएल 3.17ए(वी)-सेवानिवृत्ति के बाद देय राशियों के विलंबित भुगतान पर ब्याज की हकदारी-पेंशन लाभों की गणना के लिए स्थायी सेवा के साथ तदर्थ के रूप में प्रदान की गई सेवा-कर्मचारी की ओर से गलती ब्याज का भुगतान करने का कोई आधार नहीं है।

यह माना जाता है कि यह स्पष्ट है कि सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए विभिन्न भुगतान जारी करने में उत्तरदाताओं की ओर से कोई जानबूझकर या जानबूझकर देरी नहीं हुई है और जो भी देरी हुई है वह निर्धारित समय के भीतर औपचारिकताओं को पूरा नहीं करके याचिकाकर्ता के स्वयं के कार्य और आचरण के कारण हुई है।

(8 परोसता है)

आगे कहा गया कि मौजूदा मामले में, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को जारी करने में देरी करने

में अधिकारियों की ओर से कोई गलती थी और जो भी देरी याचिकाकर्ता के लिए जिम्मेदार है, वह किसी भी ब्याज के भुगतान की हकदार नहीं है और इस मुद्दे पर ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

(12 में कार्य करता है)

आगे कहा गया, कि ट्रिब्यूनल इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता ने अनुमति मांगने के बाद एक आवेदन किया और चुने जाने पर, दूसरे पद पर नई नियुक्ति लेने के लिए अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसकी अनुमति दी गई थी और इस प्रकार उसका मामला नियम 3.17 (ए) (1) के नियम खंड (वी) के तहत कवर किया गया है।

(15 परोसता है)

आगे कहा गया कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने उचित अनुमति के साथ किसी अन्य नौकरी के लिए रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराया और उसी के लिए कोई आपत्ति नहीं की और चयनित/नियुक्त होने के बाद नव नियुक्त पद पर शामिल होने के लिए राहत के लिए एक आवेदन किया, जिसे विधिवत स्वीकार कर लिया गया।

(19 परोसता है)

आगे कहा गया कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का दावा पूरी तरह से नियम 3.17-ए (5) के तहत कवर किया गया है, इस निर्विवाद तथ्य के प्रकाश में कि याचिकाकर्ता ने अपने पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद एक नए असाइनमेंट के लिए खुद को रोजगार कार्यालय में पंजीकृत कराया और चयनित/नियुक्त होने के बाद उसने नए पद पर शामिल होने के लिए उसे राहत देने की मांग की, जिसकी विधिवत अनुमति दी गई थी। इस प्रकार नियम का जनादेश पूरी तरह से लागू हो गया और याचिकाकर्ता को पेंशन लाभ प्रदान

करने के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ प्रदान की गई पूर्व सेवा की गणना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता था।

(20 परोसता है)

आगे कहा गया, कि ट्रिब्यूनल का आक्षेपित निर्णय रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है और कानून में दूषित है और इस प्रकार बनाए रखने के लिए उत्तरदायी नहीं है.

(22 में कार्य करता है)

आगे कहा गया कि परिणामस्वरूप, रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। दिनांक 05.02.2015 के आक्षेपित निर्णय में जहां तक यह माना गया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि पेंशन लाभों के लिए गिनी जाने योग्य नहीं है, एतद्द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

(23 परोसता है)

याचिकाकर्ता के *वकील* सुभाष आहूजा।

विकास बाली, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए।

बर्जेश मित्तल, अधिवक्ता, प्रतिवादी नंबर 4 के लिए।

कृष्ण मुरारी, मुख्य न्यायाधीश

(1) हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान वकील श्री विकास बाली और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान वकील श्री बर्जेश मित्तल को सुना है।

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन को खारिज करने वाले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की चंडीगढ़ पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 05.02.2015 को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 19 के तहत एक आवेदन करके केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'ट्रिब्यूनल') से संपर्क किया था, जिसमें दावा किया गया था कि (i) प्रति वर्ष 18% ब्याज के साथ ग्रेच्युटी,

पेंशन और पेंशन की बकाया राशि जारी करना, (ii) उसकी जीपीएफ राशि 10,000/- रुपये जारी करना।28.07.2009 से @ 18% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 86100/- रुपये, (iii) ग्रेच्युटी, जीआईएस, अवकाश नकदीकरण जैसे सेवानिवृत्ति के भुगतान में देरी से भुगतान पर ब्याज भुगतान की वास्तविक तारीख तक राशि देय होने की तारीख से और (iv) पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रदान की गई सेवा की गणना के बाद पेंशन लाभ प्रदान करना।

मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स:-

(3) याचिकाकर्ता चंडीगढ़ प्रशासन में 25.02.1983 को नियमित आधार पर क्लर्क के रूप में सेवा में शामिल हुआ। इससे पहले उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ में 11.03.1980 से 24.02.1983 तक तदर्थ आधार पर भी काम किया। बेशक, वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 30.11.2012 को वरिष्ठ सहायक के रूप में सेवानिवृत्त हुईं। उसे सेवा विस्तार दिया गया और अंतत उसे 31.05.2013 को सेवा से मुक्त कर दिया गया।

(4) याचिकाकर्ता द्वारा जारी एक कानूनी नोटिस के जवाब में, उसे प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दिनांक 14.08.2013 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था, जिसमें भुगतान करने में देरी के कारण बताए गए थे, जो निम्नानुसार हैं: -

I. सामान्य भविष्य निधि का भुगतान:-

जीपीएस के अंतिम भुगतान के संबंध में यह कहा गया है कि 31.05.2012 को सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मौखिक रूप से एक हलफनामे के साथ अंतिम शेष विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जो मामले को अकाउंटेंट जनरल (ए एंड ई), यूटी चंडीगढ़ को संसाधित करने के लिए अनिवार्य था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तथापि, श्रीमती मीना भंडारी के जीपीएफ के शेष विवरण की आपूर्ति करने के लिए इस कार्यालय ज्ञापन संख्या 1219-20 दिनांक 18.06.2013, संख्या 1334-35 दिनांक 03.07.2013 के तहत महालेखाकार (ए एंड ई) यूटी, चंडीगढ़ के साथ इस मामले को उठाया गया था और इसे व्यक्तिगत रूप से इस कार्यालय के डीलिंग सहायक द्वारा महालेखाकार (ए एंड ई) से एकत्र किया गया है। यूटी चंडीगढ़। सभी प्रकार से विधिवत भरे हुए मूल विवरण के साथ फार्म-बी और पीएफ-10 श्रीमती सोनिया गांधी को भेजा गया था। मीना भंडारी ने इस कार्यालय ज्ञापन संख्या 1554

दिनांक 24.07.2013 के माध्यम से मामले की प्रक्रिया के लिए उनके हस्ताक्षर की कमी के लिए और इसके लिए बाद में अनुस्मारक भी इस कार्यालय ज्ञापन संख्या 1614-15 दिनांक 01.08.2013 द्वारा जारी किया गया है, लेकिन इसे उनके द्वारा आज तक पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसके इस प्रकार के रवैये से यह अनुमान लगाया गया कि वह विभाग के साथ सहयोग नहीं कर रही थी।

II. **पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण** का भुगतान:-

सेवानिवृत्त व्यक्ति को नगर निगम, चंडीगढ़ में 01.06.1996 से 30.06.2005 तक कार्य किया गया था और उक्त अवधि के उपर्युक्त लाभों का भुगतान नगर निगम के संबंधित कार्यालय द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन को किया जाना अपेक्षित था। इसे मंजूरी दे दी गई है और दिनांक 26072013 को इस कार्यालय में प्राप्त हो गई है। अब बकाया राशि के मामले तैयार किए जा रहे हैं लेकिन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सेवानिवृत्त व्यक्ति से सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। श्रीमती मीना भंडारी, वरिष्ठ सहायक (सेवानिवृत्त) को पहले से ही इस कार्यालय ज्ञापन संख्या 1637 दिनांक 11.12.2012 के माध्यम से समय पर अनुरोध किया गया था कि वे अपनी ओर से आवश्यक दस्तावेज / विवरण प्रस्तुत करें ताकि इस कार्यालय को आगे बढ़ने में सक्षम बनाया जा सके लेकिन अभी तक उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यह भी कहा जाताहै कि छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए मामला तैयार किया गया है और लेखा अधिकारी को इस कार्यालय ज्ञापन संख्या 7087 दिनांक 08.08.2013 के माध्यम से इसकी जांच के लिए भेजा गया है।

III. **चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा**:-

चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा इस कार्यालय में दिनांक 13.03.2013 को सेवानिवृत्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसे सत्यापन के लिए दिनांक 20.03.2013 के इस कार्यालय ज्ञापन संख्या 557 के तहत स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया था। उसके बाद दिनांक 03052013 को विधिवत सत्यापित इस कार्यालय में यह प्राप्त हुआ है। श्रीमती मीना भंडारी के अनुरोध के कारण पुनः सत्यापन के लिए दावा पुनः 31.05.2013 को स्वास्थ्य विभाग को पुनः प्रस्तुत किया गया और 03.07.2013 को वापस प्राप्त किया गया और अनुमोदन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के उच्च प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के तुरंत बाद भुगतान किया जाएगा।

(5) याचिकाकर्ता द्वारा अपनी दलीलों में यह एक स्वीकृत स्थिति है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उसे देय सभी भुगतान किए गए थे और ऐसी परिस्थितियों में ट्रिब्यूनल ने केवल सेवानिवृत्ति के बकाया के देरी से भुगतान पर ब्याज के उसके दावे पर विचार करने और पेंशन लाभों के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रदान की गई उसकी तदर्थ सेवा की गणना करने के लिए आगे बढ़ाया।

(6) ट्रिब्यूनल ने इस आधार पर ब्याज के दावे को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता को भुगतान जारी करने में अधिकारियों की ओर से कोई देरी नहीं हुई, इसलिए वह किसी भी ब्याज के भुगतान की हकदार नहीं थी। इसी तरह, पेंशन लाभों के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रदान की गई सेवा की गणना के लिए उनके दावे को भी इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से उनके द्वारा प्रस्तुत इस्तीफा तकनीकी इस्तीफा नहीं था और इस प्रकार वह पेंशन की गणना के उद्देश्य से अपने नए रोजगार से पहले प्रदान की गई सेवा के किसी भी लाभ की हकदार नहीं हैं।

(7) उपरोक्त तथ्यों और ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आक्षेपित निर्णय की पृष्ठभूमि में, हमारे विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दे उठते हैं: -

i) क्या याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति के बाद के बकाया के देरी से भुगतान पर ब्याज का हकदार है और दावे को खारिज करने में ट्रिब्यूनल का फैसला कानून में गलत है?

ii) क्या पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवा को पेंशन लाभों की गणना के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के साथ उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा अवधि के लिए गिना जा सकता है और ट्रिब्यूनल द्वारा उक्त राहत से इनकार करना कानून में गलत है?

(8) जहां तक मुद्दा संख्या 12 का संबंध है, इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। (i) का

संबंध है, याचिकाकर्ता के कानूनी नोटिस के प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा प्रस्तुत उत्तर से पुन: प्रस्तुत ऊपर उल्लिखित तथ्यों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए विभिन्न भुगतान जारी करने में उत्तरदाताओं की ओर से कोई जानबूझकर या जानबूझकर देरी नहीं हुई है और जो भी देरी हुई है वह औपचारिकताओं को पूरा न करके याचिकाकर्ता के स्वयं के कार्य और आचरण के कारण हुई है निर्धारित समय के भीतर।

(9) ट्रिब्यूनल ने उपरोक्त तथ्यों पर भरोसा करते हुए एक निष्कर्ष निकाला कि चूंकि याचिकाकर्ता ने खुद भुगतान जारी करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया है और देरी याचिकाकर्ता के कार्य और आचरण के कारण है जो औपचारिकताओं को पूरा नहीं कर रही है, ब्याज के भुगतान के लिए उसके दावे की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(10) उपरोक्त निष्कर्ष पर आने में विद्वान ट्रिब्यूनल द्वारा जिन तथ्यों पर भरोसा किया गया है, उन्हें याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में गलत होने के कारण चुनौती नहीं दी गई है और न ही बहस के दौरान याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज निष्कर्ष या तो उसके समक्ष रखे गए तथ्यों की गलत व्याख्या के कारण दूषित है या किसी महत्वपूर्ण पर विचार न करने के कारण किसी दुर्बलता से ग्रस्त है तथ्य।

(11) यह बिना कहे चला जाता है कि यदि नियोक्ता द्वारा बिना किसी उचित कारण के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को रोक दिया जाता है, तो नियोक्ता विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान करके कर्मचारी को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है। हालांकि, अगर भुगतान जारी करने में देरी को किसी कर्मचारी के किसी कार्य और आचरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो निश्चित रूप से उसे किसी भी ब्याज के भुगतान के लिए हकदार नहीं ठहराया जा सकता है।

(12) मौजूदा मामले में, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को जारी करने में देरी करने में अधिकारियों की ओर से कोई गलती थी और जो भी देरी याचिकाकर्ता के लिए जिम्मेदार है, वह किसी भी ब्याज के भुगतान की हकदार नहीं है और इस मुद्दे पर ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

(13) जहां तक मुद्दा संख्या 12 का संबंध है, इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। (ii) का संबंध है, यह स्वीकार करते हुए कि चंडीगढ़ प्रशासन में क्लर्क के रूप में चयन के बाद याचिकाकर्ता ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ में सेवा से अपना इस्तीफा सौंपने का आरोप लगाया है, जहां वह काम कर रही थी।

(14) ट्रिब्यूनल ने मामले के तथ्यात्मक पहलू का विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि उनके द्वारा प्रस्तुत इस्तीफा तकनीकी इस्तीफा प्रतीत नहीं होता है, इसलिए वर्तमान सेवा में शामिल होने से पहले पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि पेंशन लाभों की गणना के लिए गिनी जाने योग्य नहीं थी। इस संबंध में अध्याय 3 खंड 2 में निहित पंजाब सिविल सेवा नियमों के प्रावधानों का उल्लेख करना प्रासंगिक हो सकता है जिन्हें चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए अपनाया और लागू किया गया था। इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक अध्याय 3 खंड II के तहत नियम 3.17-ए (वी) निम्नानुसार पढ़ता है:

-

> "3.17-ए (5) इस्तीफे से पहले की सेवा सिवाय इसके कि जहां इस तरह के इस्तीफे को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक नियमों में प्रदान किए गए अनुसार सार्वजनिक हित में वापस लेने की अनुमति दी जाती है या जहां इस तरह के इस्तीफे को उचित अनुमति के साथ लेने के लिए प्रस्तुत किया गया है, सरकार के तहत अस्थायी या स्थायी नियुक्त किया गया है जहां सेवा पेंशन के लिए योग्य है।

(15) बेशक, इस मामले में, याचिकाकर्ता ने नियमित आधार पर क्लर्क के पद पर शामिल होने से पहले पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में लगभग तीन वर्षों तक तदर्थ आधार पर काम किया है।

(16) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि ट्रिब्यूनल इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता ने अनुमति मांगने के बाद एक आवेदन किया और चयनित होने पर, किसी अन्य पद पर नई नियुक्ति लेने के लिए अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसकी अनुमति दी गई थी और इस प्रकार उसका मामला नियम 3.17 (ए) (1) के नियम खंड (वी) के तहत कवर किया गया है।

(17) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने बिना किसी सूचना या अनुमति के क्लर्क के पद के लिए आवेदन किया और अपना इस्तीफा दे दिया, इसलिए वह दावा किए गए लाभ की हकदार नहीं होगी और ट्रिब्यूनल द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है।

(18) हमने प्रतिद्वंद्वी की दलीलों पर विचार किया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

(19) तर्क का समर्थन करने के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अनुलग्नक पी -12 और पी -13 पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। अनुलग्नक पी -12 पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र है जो प्रमाणित करता है कि वह कॉलेज में क्लर्क के पद पर काम कर रही है और उसे नियमित नियुक्ति लेने के लिए रोजगार कार्यालय के साथ अपना नाम पंजीकृत करने की अनुमति दी गई है। अनुलग्नक पी -13 उसका पत्र दिनांक 24.02.1988 है जिसमें कहा गया है कि उसने कोई आपत्ति नहीं मिलने के बाद अपना नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत कराया और अधीक्षक अभियंता निर्माण सर्किल, चंडीगढ़ के कार्यालय में नियमित आधार पर क्लर्क के रूप में चयनित/नियुक्त किया गया है और इसलिए नए पद में शामिल होने के लिए वर्तमान असाइनमेंट से मुक्त किया जाए। उपरोक्त दो दस्तावेज नीचे पुन: प्रस्तुत किए जा रहे हैं: -

"**<u>अनुलग्नक पी -12</u>**

"चंडीगढ़ प्रशासन के अस्थायी सरकारी कर्मचारी के नियमित नियुक्ति की मांग के लिए रोजगार कार्यालय के साथ पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र।

PF/CLERK/4522

दिनांक चंडीगढ़ 3.3.1992

किससे यह संबंधित है

यह प्रमाणित है कि श्रीमती मीना भंडारी इस कॉलेज में 400-100-450 / 15-525 / 15-600 रुपये के वेतनमान में अस्थायी रिक्त होने पर क्लर्क के रूप में काम कर रही हैं। उन्हें रोजगार कार्यालय चंडीगढ़ के माध्यम से उनके पत्र संख्या 233/20/35052 दिनांक 19.02.1980 द्वारा नियुक्त किया गया था। उसे नियमित नियुक्ति लेने के लिए रोजगार कार्यालय के साथ अपना नाम पंजीकृत करने की अनुमति है।

वह इस कॉलेज में क्लर्क के अस्थायी पद के खिलाफ काम कर रही है। यदि उसे नियमित पद के खिलाफ नियुक्त किया जाता है, तो उसे उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उसके कर्तव्य से मुक्त कर दिया जाएगा।

उसका कार्य और आचरण संतोषजनक है।

एसडी/-मुख्य,

पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़।

"**अनुलग्नक पी -13**

तक

प्रिंसिपल,
पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज,
चंडीगढ़।

विषय: क्लर्क के पद से कार्यमुक्त।

सर

तब से मुझे रोजगार कार्यालय, यूटी चंडीगढ़ के माध्यम से अधीक्षण अभियंता, निर्माण सर्कल, यूटी सचिवालय भवन, सेक्टर 9-डी, चंडीगढ़ के कार्यालय में नियमित आधार पर क्लर्क के रूप में चयनित/नियुक्त किया गया है।

मैं इस कॉलेज में क्लर्क के रूप में और तदर्थ आधार पर काम कर रहा हूं और कार्यालय से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्राप्त करने के बाद मैंने अपना नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत कराया।

अतः यह अनुरोध है कि मुझे 25.02.1983 एफ.एन. से कार्यमुक्त कर दिया जाए ताकि मैं उक्त कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर सकूं।

आपको धन्यवाद,

भवदीय,

दिनांक: 24.02.1983 Sd/-Meenal

(20) उपरोक्त दो दस्तावेजों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने उचित अनुमति के साथ दूसरी नौकरी के लिए रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराया और उसी के लिए कोई आपत्ति नहीं की और चयनित/नियुक्त होने के बाद नव नियुक्त पद पर शामिल होने के लिए राहत के लिए एक आवेदन किया, जिसे विधिवत स्वीकार कर लिया गया।

(21) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का दावा पूरी तरह से नियम 3.17-ए (5) के तहत कवर किया गया है, इस निर्विवाद तथ्य के प्रकाश में कि याचिकाकर्ता ने अपने पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद एक नए असाइनमेंट के लिए खुद को रोजगार कार्यालय में पंजीकृत कराया और चयनित/नियुक्त होने के बाद उसने नए पद पर शामिल होने के लिए उसे राहत देने की मांग की, जिसकी विधिवत अनुमति दी गई थी। इस प्रकार नियम का जनादेश पूरी तरह से लागू हो गया और याचिकाकर्ता को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ प्रदान की गई पूर्व सेवा की गणना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता था।

(22) ट्रिब्यूनल उपरोक्त दो दस्तावेजों को सही परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखने में विफल रहा और उसी को गलत तरीके से पढ़ने से गलत निष्कर्ष निकला कि यह तकनीकी इस्तीफा नहीं था और उसने एक नई नौकरी लेने के लिए इस्तीफा दे दिया, इसलिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा के लाभ की हकदार नहीं होगी। ट्रिब्यूनल ने इस तथ्य को पूरी तरह से खो दिया कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 24.02.1983 के आवेदन के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में नए चयनित पद पर शामिल होने के लिए असाइनमेंट से उसे मुक्त करने की मांग की, जिसकी अनुमति दी गई थी।

(23) इस प्रकार, ट्रिब्यूनल का आक्षेपित निर्णय रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है और कानून में दूषित है और इस प्रकार बनाए रखने के लिए उत्तरदायी नहीं है.

(24) परिणामस्वरूप, रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। दिनांक 05.02.2015 के आक्षेपित निर्णय में जहां तक यह माना गया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि पेंशन लाभों के लिए गिनी जाने योग्य नहीं है, एतद्द्वारा रद्द कर दिया जाता है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि को जोड़ने के बाद याचिकाकर्ता की पेंशन की पुनर्गणना करने के लिए प्रतिवादियों को एक और निर्देश जारी किया गया है। सेवा अवधि की पुनर्गणना पर बकाया, यदि कोई हो, इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर उसे संवितरित किया जाएगा।

(25) लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय केवल वादकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि व ह इसेअपनी भाषा में समझ सके और इसका उपयोग किसी अन्य उद्दे श्य के लिए नहींकिया जा सकता है। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी न्यायिक और प्रशासनिकउद्देश्यों के लिए मान्य होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिएउपयुक्त रहेगा।

हिमानी सागर
प्रशिक्षित न्याय अधिकारी, हरियाणा